न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/2017

दिनेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 डी डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. सुरजीत कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 4 डी डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 22.11.2006

उपस्थितिः–

श्री गुरचरण सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री सतविन्द्र गिल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष चक 4 डी डी के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 11 से 13, 18 से 23 की 2.201 हैक्टेयर भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1, 2, 10, 11 की 1.012 हैक्टेयर कुल 3.213 हैक्टेयर भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट ली गई। सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 22.06.2006 को उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेस्पोडेन्ट को आवंटन के पात्रता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई। विवादित भूमि अपीलांट की राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13, 14 में निरस्त की गई थी जिसके आवंटन का प्रथम हकदार केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही हो सकते है, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना ही विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। रेस्पोडेन्ट आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुना गया। अपील पेश करने की अनुमति बाबत् धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 2000 पेज 151, आर.आर.डी. 2002 पेज 1, आर.आर.डी. 1996 पेज 550, आर.एल.डब्ल्यू. 2015 (2) पेज 942, आर.एल.डब्ल्यू.2016(2) पेज 1114 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2006 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 275/2007 पेश की थी जो दिनांक 04.09.2008 को खारिज हो चुकी है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2008 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 6598/2009 पेश की थी जो दिनांक 25.09.2013 को खारिज हो चुकी है। जब अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2006 माननीय राजस्व मण्डल तक बहाल रहा है तो उसे इस अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध यदि अपने आपको पीड़ित मानता है तो सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर कोई अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट को आवंटन का

28/5/14
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पात्र मानते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.11.2006 के विरूद्ध दिनांक 11.05.2017 को पेश की है। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 22.11.2006 को आवंटन होने पर उक्त आवंटन के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 275/2007 पेश की गई जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2008 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 6598/2009 पेश की गई जो दिनांक 25.09.2013 को खारिज हो गई इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2006 माननीय राजस्व मण्डल तक बहाल रहा है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश को अपीलांट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो या चुनौती देकर निरस्त करवाया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जब अपीलाधीन आदेश माननीय राजस्व मण्डल तक बहाल तक रहा है तो उक्त आदेश को इस अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर